राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ)पाली

क्रमांकः—भू.अ / प.प्र / 2019 / दिनांक / /2019

आदेश

राजस्थान भू.राजस्व (भू.अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 में चयनित निम्नांकित अभ्यथियों को निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./परीक्षा/प—279/2017/ 8924—56 दिनांक 10.07.2019 के क्रम में दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी की जन्म दिनांक जन्म प्रमाण के रूप में मान्य नही होगी।

क्रम सं	रोल नम्बर	मैरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग
1	107220	16135	राजेश कुमार मीणा	जगदीश प्रसाद मीणा	01-06-1993	STM
2	117794	10407	अरविन्द कुमार	आसुलाल	20-01-1993	SCM
3	121215	10597	माली राम बुनकर	झुंथा राम बुनकर	16-09-1981	SCM
4	126373	10339	सौरभ प्रकाश	प्रेम प्रकाश	16-01-1995	SCM
5	162050	8347	विनिता खत्री	दिलीप खत्री	12-08-1993	GENF
6	176038	15921	बलराम मीना	रामकिशोर मीना	02-07-1995	STM
7	184289	69463	दौलत सिंह राठौड़	सज्जन सिंह राठौड़	01-06-1970	EX-GENM
8	199619	12927	सुरभि चौधरी	जोगा राम	20-07-1997	OBCF
9	212004	3133	हरिराम गुर्जर	मोरपाल गुर्जर	10-04-1997	MBCM
10	214773	2043	पूनम चन्द	जेठमल पालीवाल	01-07-1991	GENM

1. पटवारी के पद पर दी गई समस्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14189/2017 संतोष राव बनाम सरकार व अन्य, 15198/2017 दौलतसिंह राठौड़ बनाम सरकार व अन्य, 15680/2017 रोहिताश्व योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 नरेन्द्रसिंह राजपूत बनाम सरकार व अन्य 16538/2017 बजंरग लाल सैनी बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009/2017 कैलाश चन्द स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333/2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327/2017 अमानाराम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426/2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962/2017 सोहन राम बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 कमलसिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 लालसिंह बनाम सरकार व अन्य, 16263/2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य, 12769/2018 अंतिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

2. यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस्) रूल्स, 1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों/के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।

3. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 19.07.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यालय जिला कलेक्टर(भू.अ) पाली में उपस्थित होकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, दो नवीनतम चरित्र प्रमाण प्रस्तुत करे एवं मूल दस्तावेजो का सत्यापन करावे। दिनांक 19.07.2019 को आप द्वारा इस कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना है। दिनांक 22.07.2019 को पटवार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शाला मे उपस्थित दी जानी है। पटवार प्रशिक्षण केन्द्र की सम्बन्ध में आपको पृथक से सूचित किया जायेगा।

4. परीविक्षाधीन प्रशिक्षु को परीविक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमो के अन्तर्गत संदत्त होगी।

5. पटवारियो के प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।,

6. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। **यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नही होता है तो उसकी सेवाऐ नियमित नही की जायेगी।**

7. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थियो को इस आशय का अनुबन्ध (बॉन्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

8. उपरोक्त अभ्यर्थियो को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान नही होने व विवाह में दहेज नही लेने एवं गुटखा का सेवन नही करने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर मूल दस्तावेज के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगां।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर (भू.अ)
पाली

क्रमांकः–भू.अ/प.प्र/2019/ दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निदेशक, राजस्व अनुसन्धान एव प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक पाली/जोधपुर/जयपुर/नागौर/सीकर/दौसा/बुंदी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियो के स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थियो को उपलब्ध करावे। ।

5. उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पाली को भेज कर लेख है कि नियुक्ति आदेश की प्रति इस जिले की वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. श्री ....निवासी..
7. निजी पत्रावली श्री ....
8. रक्षित पत्रावली।.

जिला कलेक्टर(भू.अ)
पाली